मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

एम.ए.सी.पी. संख्या ५९३/२०१९,
१. श्रीमती अंगूरी देवी पत्नी स्व. राम सेवक उम्र ४८ वर्ष
२. लक्ष्मी नारायन पुत्र स्व. राम सेवक उम्र २८ वर्ष
३. उत्तम पुत्र स्व. राम सेवक उम्र २० वर्ष
निवासियान ग्राम छिरौना पोस्ट जरयाई तहसील मोंठ जिला झाँसी

------याचीगण

प्रति

१. अर्जुन सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह निवासी ग्राम निवि थाना चिरगाँव तहसील मोंठ जिला झाँसी
........चालक मोटर साईकिल नं. यू. पी. ९३ बी बी ८९०७
२. मजीत खाँ पुत्र श्री फूल खाँ निवासी ग्राम बेहटा सन्त पोस्ट जरयाई थाना चिरगाँव तहसील मोंठ जिला झाँसी
........पंजीकृत स्वामी मोटर साईकिल नं. यू. पी. ९३ बी बी ८९०७
३. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड झाँसी जरिए मण्डलीय प्रबन्धक दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कचहरी चौराह, झाँसी जिला झाँसी
.......बीमाकर्ता मोटर साईकिल नं. यू.पी. ९३ बी बी ८९०७

------विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री राजीव गुप्ता
विपक्षी सं. ३ के अधिवक्ता- श्री एस.सी.गुप्ता

१२.१२.२०२०

पत्रावली आज **राष्ट्रीय लोक अदालत** में पेश हुयी। यह दावा राम सेवक की मोटर वाहन दुर्घटना मे हुई मृत्यु पर ₹ १३,००,००० क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत हुआ है। उभय पक्ष उपस्थित उभय पक्ष की ओर से सुलहनामा २०बी प्रस्तुत किया गया जो उभय पक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को २०बी सुलहनामा पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २०बी याचीगण व विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है। २०बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ ५,३०,००० याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। उभय पक्ष द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष सुलहनामा २०बी की पुष्टि की गयी है तथा याचीगण सुलहनामा २०बी में दर्शित कुल ₹ ५,३०,००० प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार हैं। अतः याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

आदेश

याचीगण की याचिका सुलहनामा २०बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २०बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं. ३ दि न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि ₹ **५,३०,००० (पाँच लाख तीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के Punjab National Bank A/c 3671000101192489 IFSC- PUNB0367100 में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम की सूचना न्यायाधिकरण को ईमेल po-mact.jh@up.gov.in पर भेजी जाएगी। उक्त प्रतिकर की धनराशि में से याची सं. १ लगायत ३ क्रमशः ४५, २५, ३० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। याचीगण को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर धनराशि में से प्रत्येक की ७५-७५ प्रतिशत धनराशि की किसी राष्ट्रीयकृत बैंक मे ५-५ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जायेगी तथा शेष २५-२५ प्रतिशत प्रतिशत भाग प्रत्येक याचीगण आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त कर सकेगें ।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.12.12 16:38:04 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi